राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः– प. 6 (262) परि/कर/मु./2007/9157 जयपुर, दिनांकः 01/05/18

कार्यालय आदेश संख्या 14/2018

गैर परिवहन यानों को जारी की जाने वाले कर चुकता प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को सरल करने तथा वाहन स्वामियों को इसकी जटिलताओं से राहत प्रदान करने के उद्देश्य से विभाग द्वारा कार्यालय आदेश 38/2016 दिनांक 17.10.2016 को आदेश जारी किया गया था। इस कार्यालय आदेश को अतिष्ठित करते हुये लेख है कि गैर परिवहन वाहनों के लिये जमा कराये जमा कराये गये एक बारीय कर (OTT) के विवरण को ही Deemed TCC माना जायेगा, पृथक से TCC की आवश्यकता नहीं होगी, चूंकि राज्य में समस्त प्रकार के गैर परिवहन यानों पर पंजियन के समय ही एकबारीय कर का आरोपण एवं वसूली सुनिश्चित की जाती है, तथा वाहन का पंजियन एकबारीय कर के जमा होने के बाद ही संभव होता है। इस प्रणाली से कर जमा होने के बाद तथा कर राशि का संबंधित विवरण पंजियन प्रमाण पत्र/स्मार्ट कार्ड में अंकन होने की स्थिति में, वाहन स्वामी से स्वामित्व अन्तरण या अन्य कोई सर्विस चाहने पर कर चुकता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की बाध्यता किसी प्रकार से औचित्यपूर्ण प्रतीत नहीं होती है।

गैर परिवहन यानों (संन्निर्माण उपस्करयानों को सम्मिलित करते हुये) के डीम्ड कर चुकता प्रमाण पत्र को स्वीकार करने के संबंध में निम्न प्रक्रिया अपनाई जाने के निर्देश दिये जाते हैं :–

1. नये पंजीकृत होने वाले गैर परिवहन यानों के लिये वसूल किये जाने वाले एकबारीय कर का अंकन स्मार्ट कार्ड में किये जाने के पश्चात् O.T.T./T.C.C. (जमा राशि) के अंकन को स्थाई प्रकृति का कर चुकता प्रमाण पत्र माना जायेगा जो राज्य के किसी भी जिले के लिये तथा भविष्यगामी सभी प्रयोजनों के लिये मान्य होगा। इसके लिये पृथक से किसी अन्य स्टेशनरी पर कर चुकताप्रमाण पत्र जारी करने की आवश्यता नहीं होगी। T.C.C के इस अंकन हेतु राजस्थान मोटरयान कराधान नियम 1951 के नियम 36A में आवश्यक 100 रूपये की फीस पंजियन शुल्क के साथ ही संदेय होगी।
2. चूंकि पूर्व में पंजीकृत हो चुके गैर परिवहन यानों द्वारा एकबारीय कर जमा कराने के पश्चात् ही पंजीयन किया गया है, अतः ऐसे वाहनों के लिये कर चुकता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है एवं ऐसे वाहनों से किसी भी प्रकार की सर्विस के लिये कर चुकता प्रमाण पत्र की मांग नहीं की जावे।

Scanned by CamScanner

3. गैर परिवहन यानों के स्वामित्व हस्तान्तरण के समय जमा कराये गये एकबारीय कर के 25 प्रतिशत कर की राशि लिये जाने का प्रावधान है। ऐसे वाहन जिनके पंजीयन प्रमाण पत्र में एकबारीय कर की जमा राशि का विवरण दर्ज नही है अथवा पूर्व में स्वामित्व हस्तान्तरण के समय ली गई 25 प्रतिशत एकबारीय कर की जमा राशि आदि के विवरण का भी अंकन नहीं किया हुआ है तथा वाहन स्वामी जमा कर की रसीद/साक्ष्य प्रस्तुत नही करता है, इस स्थिति में वाहन पर स्वामित्व हस्तातरण के समय देय 25 प्रतिशत एक बारीय कर की गणना वर्तमान में वाहन की कीमत के अनुसार मान कर की जाएगी।

निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे।

(शैलेन्द्र अग्रवाल)
परिवहन आयुक्त एवं
अतिरिक्त मुख्य सचिव

क्रमांकः– प. 6 (262) परि/कर/मु./2007/9143-54 जयपुर, दिनांकः 01/05/2018

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है।

1. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव।
2. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
3. समस्त प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी।
4. समस्त जिला परिवहन अधिकारी।
5. श्री संजय सिंघल, एस.ए. को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड़ करने हेतु।
6. समस्त प्रभारी कर संग्रह केन्द्र।
7. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (कर)

Scanned by CamScanner